

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(02)पीएस/CCE/21/742

दिनांक:- 18/02/2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक प.1(2) शिक्षा/गुप-3/2021 जयपुर, दिनांक 03.02.2021 एवं
आयुक्तालय पत्र क्रमांक एफ1(102) पीएस/आकाशि/21/695 दिनांक 04.
02.2021

संदर्भित पत्र के क्रम में प्राचार्य पद पर पदोन्नत जिन अधिकारियों ने आदिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.02.2021 तक आवश्यक रूप से अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेवें एवं इसकी सूचना अविलम्ब आयुक्तालय को दें। दिनांक 22.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों का पदोन्नति से forego का चयन मानते हुए उनका पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।

उक्त हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त है।

(बी.एल.गोयल)

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ1(02)पीएस/CCE/21/742

दिनांक:- 18/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी-कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।